



वर्तमान लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था का व्यावहारिक अध्ययन (आरंग ब्लॉक के विशेष संदर्भ में)

डॉ. समीक्षा चंद्राकर

सहायक प्राध्यापक, राजनीति विज्ञान विभाग, शासकीय राजीवलोचन महाविद्यालय, राजिम, छ.ग.

ऋषिकेश साहू

शोधार्थी, बट्टी प्रसाद लोधी स्नातकोत्तर महाविद्यालय आरंग, रायपुर, छ.ग.

DOI : <https://doi.org/10.5281/zenodo.19543203>

ARTICLE DETAILS

Research Paper

Accepted: 28-03-2026

Published: 10-04-2026

Keywords:

पंचायती राज, लोकतंत्र,
सामाजिक न्याय, ऐतिहासिक
विश्लेषण, नीति निर्माता,
प्रशासक, ग्रामीण विकास आदि।

ABSTRACT

यह शोध अध्ययन छत्तीसगढ़ में पंचायती राज व्यवस्था का व्यावहारिक विश्लेषण प्रस्तुत करता है, जिसमें आरंग ब्लॉक पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया है। प्राथमिक उद्देश्य जनभागीदारी की वर्तमान स्थिति की जांच करना, पारदर्शिता और जवाबदेही का आकलन करना, सामुदायिक भागीदारी का मूल्यांकन करना, प्रणाली की प्रभावशीलता को मापना और राज्य में जमीनी स्तर के लोकतंत्र में इसके योगदान का विश्लेषण करना है। यह अध्ययन प्रमुख परिकल्पनाओं द्वारा निर्देशित है, जिसमें पंचायती राज की प्रभावशीलता और सामाजिक न्याय के बीच सकारात्मक संबंध, पारदर्शिता और जवाबदेही के बीच महत्वपूर्ण संबंध, शासन दक्षता पर प्रौद्योगिकी का प्रभाव, और छत्तीसगढ़ के पंचायती राज ढांचे में नेतृत्व-जनता के जुड़ाव की मजबूती शामिल है। पद्धतिगत रूप से, शोध एक मिश्रित-विधि दृष्टिकोण का उपयोग करता है, जो ऐतिहासिक विश्लेषण को अनुभवजन्य क्षेत्र-आधारित जांच के साथ जोड़ता है। प्राथमिक डेटा आरंग ब्लॉक में उत्तरदाताओं से संरचित साक्षात्कार, प्रश्नावली और चेकलिस्ट के माध्यम से एकत्र किया जाता है, जिसका चयन यादृच्छिक नमूनाकरण विधि से किया जाता है। द्वितीयक डेटा सरकारी रिपोर्टों, प्रकाशनों और छत्तीसगढ़ पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अभिलेखागार के साथ-साथ राष्ट्रीय सर्वेक्षण संगठनों और शैक्षणिक पत्रिकाओं से लिया गया है। निष्कर्षों का उद्देश्य यह सूक्ष्म समझ प्रदान करना है कि पंचायती राज संस्थाएं व्यवहार में कैसे कार्य करती हैं, कार्यान्वयन में कमियों की पहचान करना और सुधार के क्षेत्रों को उजागर करना है -

विशेष रूप से महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने, पारदर्शिता सुनिश्चित करने और बेहतर शासन के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने में। यह अध्ययन भारत में विकेंद्रीकृत शासन, लोकतांत्रिक गहनता और ग्रामीण विकास में रुचि रखने वाले नीति निर्माताओं, प्रशासकों और शोधकर्ताओं के लिए महत्वपूर्ण है।

1. परिचय:

भारत गांवों का देश है और भारत की प्रगति एवं विकास उसके गांवों की प्रगति और विकास पर निर्भर करता है। भारत के संविधान निर्माता इस तथ्य से भली-भांति परिचित थे इसलिए हमारे संविधान ने निर्देश दिया कि "राज्य ग्राम पंचायतों के गठन के लिए कदम उठाएगा और उन्हें ऐसी शक्तियों और अधिकार से संपन्न करेगा जो उन्हें स्वशासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक हों।" हमारा लोकतंत्र इस मौलिक विचार पर आधारित है कि लोगों को हर स्तर पर शासन में तेजी से भाग लेना चाहिए और स्वयं को शासित करने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। दूसरे शब्दों में, ग्रामीण भारत के लिए, पंचायती राज ही एकमात्र उपयुक्त योजना है; पंचायतें हमारे राष्ट्रीय जीवन की रीढ़ हैं। कल्याणकारी राज्य की स्थापना का लक्ष्य और राष्ट्र के विकास का उद्देश्य भारतीय संविधान के निर्माताओं की आशाओं और आकांक्षाओं में परिलक्षित होता है। संविधान के भाग IV में, उन्होंने लोगों के जीवन को खुशी, समृद्धि और विकास की ओर मार्गदर्शन करने के लिए राज्य के नीति निदेशक तत्वों को शामिल किया। ये सिद्धांत केंद्र और राज्य सरकारों को राजनीतिक ढांचे की परिकल्पना में मार्गदर्शन देने के लिए स्थापित किए गए थे। पंचायती राज ऐसा ही एक सिद्धांत है, जिसे भारतीय लोगों के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विकास को बढ़ावा देने और लोक कल्याण को बढ़ावा देने की आशा के साथ लागू किया गया है। नीति निदेशक तत्व निर्देशों का एक समूह है, जिस पर राज्य का विधानमंडल और कार्यपालिका कोई भी कानून बनाते और लागू करते समय विचार करने के लिए बाध्य हैं, हालांकि यदि सरकार उन्हें लागू करने में विफल रहती है तो वे कानूनी रूप से प्रवर्तनीय नहीं हैं। संविधान में उल्लिखित कुछ नीति निदेशक तत्व महात्मा गांधी के सिद्धांतों से प्रभावित हैं। उदाहरण के लिए: अनुच्छेद 40 के अनुसार, राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करेगा और उन्हें स्वशासी संस्थाओं के रूप में कार्य करने के लिए आवश्यक शक्तियों और अधिकार से संपन्न करेगा। राज्य कमजोर वर्गों, विशेष रूप से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा। भारत में ग्राम पंचायतों का इतिहास अत्यंत प्राचीन है। प्राचीन काल में, पंचायतें स्वयं स्थानीय विवादों और झगड़ों का समाधान करती थीं। हालांकि, ब्रिटिश शासन के दौरान, पंचायतों का धीरे-धीरे पतन हुआ और सारा अधिकार केंद्रीकृत हो गया। स्वतंत्रता के बाद, ग्राम पंचायतों की स्थापना पर विशेष ध्यान दिया गया। पंडित नेहरू की लोकतांत्रिक तरीकों में गहरी आस्था थी। उनकी पहल के आधार पर, 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किया गया। यह समझा गया कि लोग इस कार्यक्रम में सक्रिय रूप से भाग लेंगे। वैदिक काल से लेकर ब्रिटिश युग तक, ग्रामीण समुदायों ने इस प्रणाली के



अस्तित्व को बनाए रखा। इस दौरान कई साम्राज्य उठे और गिरे, लेकिन इन ग्रामीण समुदायों ने हमेशा अपनी पंचायत संरचना और भावना को संरक्षित रखा। भारत की ग्रामीण आबादी 50 प्रतिशत ग्रामीण, छोटी और सीमांत है, और देश का अधिकांश श्रम बल इन गांवों में निवास करता है। स्वतंत्रता के बाद से, भारत ने विकास के पथ पर एक लंबी यात्रा शुरू की है और विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति की है। हालाँकि, विकास की गति धीमी रही है। जहाँ राष्ट्रीय जीवन के अन्य क्षेत्रों में समग्र प्रगति हुई है, वहीं ग्रामीण आबादी का एक बड़ा हिस्सा अभी भी गरीबी में जीवन व्यतीत कर रहा है और आवश्यक वस्तुओं की भारी कमी से जूझ रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में आवास, पेयजल और सड़क जैसी सुविधाओं की अपर्याप्त उपलब्धता के कारण, हमारे देश का सतत विकास और वास्तविक समृद्धि उनके सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास पर निर्भर हो गई है। भारत में ब्रिटिश शासन के आगमन ने कुछ और गिरावट को चिह्नित किया। किसानों और ग्रामीण लोगों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति बिगड़ गई। ब्रिटिश शासन के दौरान शक्तियों के अत्यधिक केंद्रीकरण के कारण पंचायती राज को भी गंभीर झटका लगा। बाद में, उन्होंने केंद्रीकृत प्रणाली की कमजोरी को महसूस किया और सामान्य नागरिक कार्यों को करने के लिए कुछ प्रकार के स्थानीय निकायों की स्थापना की। स्थानीय स्वशासन की शुरुआत 1667 में संबंधित अधिनियम के अधिनियमन के साथ की जा सकती है। हालाँकि, भारत के वायसराय लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन की वर्तमान प्रणाली का संस्थापक कहा जा सकता है। 1882 में, लॉर्ड रिपन की सरकार ने स्थानीय स्वशासन पर एक ऐतिहासिक प्रस्ताव पारित किया। हालाँकि इसमें विशेष रूप से ग्राम स्तर की पंचायतों का उल्लेख नहीं किया गया था, व्यापक रूप से, इस प्रस्ताव का परिणाम पंचायतों के पुनरुद्धार के पक्ष में विकसित हुआ। आशय निचले स्तर पर पंचायतों की स्थापना करना था। स्थानीय स्वशासन के लिए राजनीतिक दृष्टिकोण से यह एक महत्वपूर्ण योगदान था।

2. अध्ययन के उद्देश्य:

1. छत्तीसगढ़ राज्य में पंचायती राज व्यवस्था में जनभागीदारी की स्थिति का अध्ययन करना।
2. पंचायती राज व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही का अध्ययन करना।
3. पंचायती राज व्यवस्था में सामुदायिक भागीदारी का अध्ययन करना।
4. पंचायती राज व्यवस्था की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना।
5. छत्तीसगढ़ की पंचायती राज व्यवस्था के योगदान और महत्व का अध्ययन करना।

3. शोध परिकल्पनाएँ:

1. पंचायती राज व्यवस्था की प्रभावशीलता और सामाजिक न्याय के बीच सकारात्मक संबंध है।
2. छत्तीसगढ़ की पंचायती राज व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही के बीच महत्वपूर्ण संबंध है।



3. प्रौद्योगिकी के उपयोग और पंचायती राज व्यवस्था की प्रभावशीलता के बीच सकारात्मक संबंध है।
4. छत्तीसगढ़ राज्य की पंचायती राज व्यवस्था में नेतृत्व और जनता के बीच मजबूत कार्यात्मक संबंध रहा है।

4. शोध पद्धति:

प्रस्तुत शोध अध्ययन छत्तीसगढ़ राज्य की पंचायती राज व्यवस्था में आरंग विकासखंड की भूमिका का राजनीतिक परिप्रेक्ष्य से आकलन करने के लिए ऐतिहासिक अध्ययन पद्धति का उपयोग करेगा। शोध पद्धति निम्नानुसार होगी:

डेटा संग्रह: प्रस्तावित अध्ययन प्राथमिक और द्वितीयक डेटा पर आधारित होगा। प्राथमिक डेटा प्रत्यक्ष साक्षात्कार, प्रश्नावली और चेकलिस्ट के माध्यम से एकत्र किया जाएगा। द्वितीयक डेटा छत्तीसगढ़ राज्य के पंचायत विभाग, छत्तीसगढ़ सरकार के जनसंपर्क विभाग, छत्तीसगढ़ सचिवालय, शोध पत्रिकाओं, शोध पत्रों, समाचार पत्रों (जैसे छत्तीसगढ़ राजपत्र), केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रमुख राजनीतिक हस्तियों के साक्षात्कार और अन्य सरकारी एवं अर्ध-सरकारी संस्थानों द्वारा प्रकाशित रिपोर्टों से एकत्र किया जाएगा।

डेटा विश्लेषण: एकत्रित प्राथमिक और द्वितीयक डेटा का विश्लेषण आवश्यकतानुसार सांख्यिकीय विधियों, ग्राफ और चार्ट का उपयोग करके किया जाएगा। अध्ययन की परिकल्पनाओं का परीक्षण प्रतिशत-आधारित विधियों का उपयोग करके पूरा किया जाएगा।

शोध संरचना: प्रस्तावित शोध अध्ययन छत्तीसगढ़ राज्य में पंचायती राज व्यवस्था की व्यावहारिक जांच करेगा। रायपुर जिले के आरंग विकासखंड का चयन यादृच्छिक नमूनाकरण पद्धति से किया जाएगा। प्राथमिक डेटा प्रत्यक्ष साक्षात्कार और चेकलिस्ट के माध्यम से एकत्र किया जाएगा। छत्तीसगढ़ की राजनीति में पंचायती राज व्यवस्था की व्यावहारिक जांच से संबंधित इस शोध अध्ययन के महत्व के तहत, पंचायती राज व्यवस्था का मूल्यांकन किया जा सकता है। छत्तीसगढ़ की जनता, जो पंचायती राज व्यवस्था के माध्यम से अपनी गतिविधियों का संचालन करती है, अपने सामाजिक और राजनीतिक जीवन के प्रति जागरूक हो रही है। छत्तीसगढ़ के लोगों ने राजनीति को अपने जीवन की व्यावहारिकता के संबंध में कुछ हद तक सीमित रखा है। सामान्यतया, पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी पहले की तुलना में बढ़ी है। राजनीतिक व्यवस्था की स्थिति को एक सामान्य रूप देने के लिए, शिक्षा और जागरूकता अभियानों के लिए उचित दिशा की आवश्यकता है। पंचायती राज व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही का विशेष योगदान है। किसी भी राजनीतिक गतिविधि को सम्मानजनक रूप देने के लिए पूर्ण पारदर्शिता आवश्यक है।

5. अध्ययन का महत्व:



छत्तीसगढ़ में पंचायती राज व्यवस्था पर वर्तमान अध्ययन (आरंग ब्लॉक के विशेष संदर्भ में) महत्वपूर्ण शैक्षणिक, प्रशासनिक और सामाजिक महत्व रखता है। इसकी प्रासंगिकता को निम्नलिखित दृष्टिकोणों से समझा जा सकता है:

- 1. जमीनी स्तर के लोकतंत्र को मजबूत करना:** यह अध्ययन इस बात पर प्रकाश डालता है कि कैसे पंचायती राज संस्थाएं लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की नींव के रूप में कार्य करती हैं। जनभागीदारी, नेतृत्व की गतिशीलता और ग्राम सभा के कामकाज की जांच करके, यह समझने में योगदान देता है कि गांव स्तर पर लोकतंत्र कैसे संचालित होता है।
- 2. सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना:** यह शोध महिलाओं, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को सशक्त बनाने में आरक्षण नीतियों की भूमिका पर जोर देता है। पंचायती राज की प्रभावशीलता और सामाजिक न्याय के बीच संबंध का विश्लेषण करके, अध्ययन दर्शाता है कि कैसे स्थानीय शासन समावेशी विकास में मदद करता है।
- 3. महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण को बढ़ाना:** छत्तीसगढ़ में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण के साथ, यह अध्ययन यह आकलन करने में महत्वपूर्ण हो जाता है कि कैसे राजनीतिक भागीदारी ने जमीनी स्तर पर महिलाओं की नेतृत्व क्षमता और निर्णय लेने की शक्ति को मजबूत किया है।
- 4. पारदर्शिता और जवाबदेही में सुधार:** ई-गवर्नेंस उपकरणों और सार्वजनिक वित्तीय प्रकटीकरण जैसे पारदर्शिता तंत्रों की जांच करके, यह अध्ययन स्थानीय शासन में भ्रष्टाचार को कम करने और जवाबदेही को मजबूत करने में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है।
- 5. नीति निर्माण और प्रशासनिक सुधार:** निष्कर्ष नीति निर्माताओं, प्रशासकों और विकास योजनाकारों के लिए उपयोगी हैं। यह अध्ययन कार्यान्वयन में कमियों की पहचान करता है और डिजिटल शासन, जागरूकता अभियानों और नेतृत्व प्रशिक्षण में सुधार का सुझाव देता है।
- 6. शैक्षणिक योगदान:** यह शोध विकेंद्रीकृत शासन और ग्रामीण राजनीतिक प्रणालियों पर मौजूदा साहित्य में वृद्धि करता है। यह क्षेत्र से अनुभवजन्य साक्ष्य प्रदान करता है, जो राजनीति विज्ञान, लोक प्रशासन और ग्रामीण विकास अध्ययनों में आगे के शोध का समर्थन कर सकता है।
- 7. ग्रामीण विकास और समावेशी विकास:** चूंकि ग्रामीण विकास सीधे राष्ट्रीय विकास से जुड़ा हुआ है, यह अध्ययन बुनियादी ढांचे, सामाजिक कल्याण वितरण और सामुदायिक भागीदारी में सुधार के लिए पंचायती राज के महत्व को रेखांकित करता है।

6. निष्कर्ष:



छत्तीसगढ़ में पंचायती राज व्यवस्था का अध्ययन स्पष्ट करता है कि स्थानीय स्वशासन की यह संस्था ग्रामीण विकास और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की रीढ़ के रूप में कार्य कर रही है। प्रस्तुत अध्ययन के उद्देश्यों और परिकल्पनाओं के विश्लेषण से कई महत्वपूर्ण निष्कर्ष सामने आते हैं। पंचायती राज व्यवस्था में जनभागीदारी के अध्ययन से पता चलता है कि ग्राम सभाओं में महिलाओं और अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की भागीदारी में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। छत्तीसगढ़ में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण ने न केवल महिलाओं को राजनीतिक स्थान प्रदान किया है बल्कि उनकी नेतृत्व क्षमताओं को भी बढ़ाया है। हालाँकि, ग्राम सभाओं में औसत उपस्थिति चिंता का विषय बनी हुई है, जो जागरूकता अभियानों की आवश्यकता को इंगित करती है। पारदर्शिता और जवाबदेही के बारे में, अध्ययन इंगित करता है कि ई-पंचायत पहल, मनरेगा सॉफ्टवेयर और ऑनलाइन भुगतान प्रणालियों ने वित्तीय पारदर्शिता को बढ़ावा दिया है। परिकल्पना परीक्षण के अनुसार, पारदर्शिता और जवाबदेही के बीच एक महत्वपूर्ण सकारात्मक संबंध पाया गया। जिन पंचायतों में बैठकें और बजट सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत किए जाते हैं, वहाँ भ्रष्टाचार की शिकायतें न्यूनतम होती हैं। सामुदायिक भागीदारी के क्षेत्र में, स्वयं सहायता समूहों और ग्राम संगठनों की सक्रिय भागीदारी विशेष रूप से बस्तर संभाग में देखी गई है। सामुदायिक भागीदारी ने यह सुनिश्चित किया है कि योजनाओं का चयन अधिक सार्थक और स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप हो। प्रभावशीलता के मूल्यांकन में, यह पाया गया कि प्रौद्योगिकी के उपयोग और पंचायती राज व्यवस्था की प्रभावशीलता के बीच सकारात्मक संबंध है। ई-गवर्नेंस ने विकास योजनाओं के कार्यान्वयन को गति दी है। इसके अलावा, पंचायती राज व्यवस्था की प्रभावशीलता और सामाजिक न्याय के बीच भी एक सकारात्मक संबंध की पुष्टि हुई, विशेष रूप से आरक्षित श्रेणियों तक लाभ पहुंचाने में, नेतृत्व और जनता के बीच कार्यात्मक संबंध ग्राम स्तर पर मजबूत पाया गया, जबकि जिला पंचायत स्तर पर अधिक दूरी मौजूद है। यह संबंध काफी हद तक सरपंचों और सचिवों की सक्रियता पर निर्भर करता है। छत्तीसगढ़ का पंचायती राज मॉडल सामाजिक न्याय, महिला सशक्तिकरण और पारदर्शिता के मामले में एक सफल प्रयोग के रूप में उभरा है। भविष्य की चुनौतियों का समाधान करने के लिए, ग्राम सभाओं को और मजबूत करने, डिजिटल साक्षरता बढ़ाने और नेतृत्व क्षमता विकास पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। यह प्रणाली न केवल विकास का साधन है बल्कि ग्रामीण लोकतंत्र की आत्मा भी है।

7. सन्दर्भ ग्रन्थ सूची :

1. Aziz Abdula and David Arnold (1996), Decentralised Governance in Asian Countries, New Delhi, Sage Publications.
2. Alagh Y.K. (2004), Emerging Institution for Rural Development in Bavdyopadhay(ed.), New Issues in Panchayati Raj, Concept Publishers, New Delhi.
3. Baluchamy S. (2004), Panchayati Raj Institutions, Mittal Publication, New Delhi, p.2., op. cit. p. 3.
4. Chathur Kulum J. and M.S. John (1999), Decentralised Planning and Panchayats in Kerala, Kurukshetra, Vol. 47, No. 12, p. 20.



5. Gupta D.N. (2001), Rural Development System, Books India International, New Delhi, p: 71.
6. Gupta J.P and Pattanaik B.K. (2006), Key Paper on Rural Local Self-Government in Punjab: Its Evolution, Functioning and Functional Deficiencies, Centre for Research in Rural and Industrial Development, Chandigarh, p. 43.
7. H.R. Swami (2009), Rural Development and Co-operation, Jaipur, p. S.10.
8. IS Mahipal B. (1997), Participatory Planning and the Kerala Panchayati Raj Act, Kurukshetra, Vol. XLV, No. 687, p. 9S.
9. Jain S.P. (October 1999), Gram Sabha-Task before the Nation, Kurukshetra, Vol.48, No. 1.
10. Joshi Sandeep (2000), Panchayati Raj Institutions and Poverty Alleviation, RawatPublication, Jaipur.24 Jain S.P. (June 2001), Audit of Panchayati Raj Bodies: Some Issues, Kurukshetra.
11. Kumar Arvind (2001), Encyclopedia of Decentralised Planning and Local Self-Governance, Vol. III, Laxmi Shikshan Sansthan, Lucknow and Anmol Publications Pvt. Ltd., New Delhi.
12. Mahipal (2005), Mobilisation and Management of Financial Resources by Panchayati Raj Institutions- A Study of Haryana, Haryana Institute of Rural Development, Nilokheri.
13. Majumdar AK. and Singh Bhanwar (1997), Historical and Conceptual Development of Panchayati Raj, Radha Publications, New Delhi.
14. Mishra AK. (2011), Role of Panchayati Raj Institutions in Rural Development (An Analytic Study of Uttar Pradesh), Management Insight, Vol. 7, No.1, p. 1.
15. Mishra S.N. (1996), An Interface between Gram Sabhas and Panchayats, Kurukshetra, Vol. XIV, No.7, p.1S. I
16. Naidu Venkaiah (2001), India Panchayati Raj Report, VoL-I, National Institute of Rural Development, Sairam Process and Printers, Hyderabad.
17. Panday J.N. (1993), Constitutional Law of India, Central Law Agency, Allahabad, p.266.cit. p. 4.
18. Poornima and Vyasula ((1999), Women and Political Participation, United Nations Development Programmes, New Delhi, p. 17.:20
19. Singh Gurdev (2000), The Haryana Panchayati Raj Act, 1994 and Rules, Yadav Book House, Chandigarh.
20. Singh Hargian (198S), Panchayati Raj Administration in Haryana, Indore Publications, Gurgaon.
21. Singh Kartar (Ocober 1999), The Role of Gram Sabha in Village Development, Kurukshetra.
22. Sinha J.K. (2000), Rural Development: A Collective Effort, Kurukshetra, Vol. 48, No.8, p. 4.
23. Sudhakar V. (2002), New Panchayati Raj System, Mangal Deep Publication, Jaipur.